न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/1438/2005/हनुमानगढ़

1. रामस्वरूप पुत्र सांवताराम (मृतक) जरिए वारिसानः–
   1/1 राममूर्ति पत्नी स्व0 रामस्वरूप
   1/2 सुगनी पत्नी स्व0 रामस्वरूप
   1/3 मगतूराम पुत्र स्व0 रामस्वरूप
   1/4 कृष्णा पुत्री स्व0 रामस्वरूप
   1/5 सिलोचना पुत्री स्व0 रामस्वरूप
   1/6 रोशनी पुत्री स्व0 रामस्वरूप
   1/7 दुर्गा पुत्री स्व0 रामस्वरूप
   1/8 सुमन पुत्री स्व0 रामस्वरूप
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट्स

बनाम

1. रामप्यारी पुत्री मोमनराम पत्नी झिण्डूराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर हाल भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़
2. चन्दूराम पुत्र मलाराम जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़
3. ओमप्रकाश पुत्र विद्या देवी पुत्री मोमनराम पत्नी स्व0 रामचन्द्र
4. गिरदावरी पुत्री विद्या देवी पुत्री मोमनराम पत्नी स्व0 रामचन्द्र
5. महेन्द्र सिंह पुत्र विद्या देवी पुत्री मोमनराम पत्नी स्व0 रामचन्द्र
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेंट्स

खण्डपीठ
श्री भंवर सिंह सान्दू, सदस्य
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थितः–
श्री सोहनपाल सिंह ,अभिभाषक अपीलांट्स की ओर से
श्री श्रीनिवास बेनिवाल, अभिभाषक रेस्पोडेंट्स की ओर से

दिनांक : 06–03–2024

निर्णय

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) राजस्व अपील

प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 95/2003 में पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 21–03–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3– अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि रेस्पो0/वादीया रामप्यारी व विद्या ने अपीलांट/प्रतिवादी रामस्वरूप व चंदू एवं राज्य सरकार के विरूद्ध धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय सहायक कलक्टर, भादरा के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। इस वाद का प्रतिवादी/ अपीलांट ने जवाब प्रस्तुत कर वाद खारिज करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनने के उपरांत अपने निर्णय/डिक्री दिनांक 17.07.2003 के द्वारा वाद पत्र को खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादिया रामप्यारी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21.03.2005 द्वारा अपील स्वीकार कर वादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी ने यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की है।

4– उनका तर्क है कि विचारण न्यायालय ने अपने समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व वाद पत्र एवं प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा के आधार पर कुल 9 तनकीयात कायम की एवं वादी व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पर विस्तृत कानूनी विवेचन करने के बाद वाद पत्र के साबित नहीं पाए जाने के कारण अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2003 के द्वारा वाद पत्र को सही रूप से खारिज किया था, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य को नजरअंदाज करके अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.03.2005 के द्वारा स्वीकार करके वाद पत्र को डिक्री करने में कानूनी भूल की है।

5– उनका यह भी तर्क है कि वादग्रस्त आराजी के 1/3 हिस्से का खातेदार स्व0 मोमन, प्रतिवादी रामस्वरूप का चाचा था,

जिसके कोई लड़का नहीं होने के कारण वह प्रतिवादी रामस्वरूप के साथ ही रहता था एवं प्रतिवादी रामस्वरूप ही उसकी सेवा करता था। इसी कारण मोमन ने अपने 1/3 हिस्से की खातेदारी की भूमि प्रतिवादी के पक्ष में तर्क कर दी एवं इसके बाबत पंजीबद्ध रिलीज डीड भी दिनांक 25–03–1989 को रजिस्टर्ड करवा दिया। जिसके आधार पर प्रतिवादी रामस्वरूप के पक्ष में खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 77 भी दिनांक 03–04–1989 को स्वीकृत कर दिया गया। इस प्रकार जब तक उक्त पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 25–03–1989 प्रभाव में है, तब तक वादीगण को वादग्रस्त आराजी पर खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जा सकता है तथा वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि बाबत प्रस्तुत वाद पत्र भी कानूनन संधारण योग्य ही नहीं है। उक्त कानूनी बिंदुओं पर विस्तृत विवेचन करने के बाद ही विचारण न्यायालय ने वाद पत्र को अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01–07–2003 द्वारा खारिज किया था परंतु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज दिनांक 25–03–1989 को अनदेखा कर वाद पत्र को डिक्री करने बाबत् प्रथमदृष्ट्या ही गैर कानूनी निर्णय व डिक्री दिनांक 21–03–2005 को पारित किया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। अतः यह अपील स्वीकार की जाकर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21–03–2005 को निरस्त कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17–07–2003 को बहाल रखा जावे। अपने तर्कों के समर्थन में अभिभाषक अपीलांट ने 2007(1) आरआरटी 360, 2011(1) आरआरटी 592, 2019(2) आरआरटी 1445 2019 आरबीजे 486, 2018 आरबीजे 518, 2010 आरबीजे 628, 2009(1) आरआरटी 68, 1997(1) आरएलडब्ल्यू 377, 1989 आरआरडी 774 के न्यायिक दृष्टांत उद्धृत किये एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.5/(16)राज/6/92/16 दिनांक 09–09–1993 एवं परिपत्र क्रमांक प.5/(16)राज/6/92/6 दिनांक 04–05–2000 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।

6– इसके विपरीत अभिभाषक रेस्पो0 ने तर्क दिया कि तनसुख जाट के दो लड़के सुन्दल, मुखराम थे। सुन्दल के दो लड़के मालाराम व सम्पतराम हुए। मालाराम का लड़का प्रतिवादी नं0–2 चन्दूराम है तथा सम्पतराम का लड़का रामस्वरूप प्रति0 नं0 1 है तथा

तनसुखराम के दूसरे लड़के मुखराम के दो लड़के मोमन व रणजीत हुए। मोमनराम के दो लड़कियां रामप्यारी व विद्या वारिसान हुई। चक–7 डी.पी.एन. में 63 बीघा भूमि चन्दूराम, रामस्वरूप के साथ रेस्पो0सं01 के पिता मोमनराम की निकाली हुई थी, जिसमें 1/3 हिस्सा था। विद्या देवी रेस्पो0 की बहन है। मोमनराम की दिनांक 18–01–1991 को मृत्यु हो चुकी है। रामस्वरूप ने दिनांक 25–03–1989 को अपने हक में दस्तबरदारी करवा ली तथा दिनांक 03–04–1989 को उसी शून्य दस्तबरदारी के आधार पर इंतकाल संख्या 77 मोमनराम की भूमि का अपने नाम से तस्दीक करवा लिया। दस्तबरदारी शून्य है इसलिए उसे मन्सुख करवाने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ववर्ती अधिकार होने वाले के हक में ही दस्तबरदारी हो सकती है। चंदू का इकबाल दावा पेश हुआ है। रामस्वरूप का कोई पूर्ववर्ती अधिकार नहीं था, ना ही वह सह काश्तकार था इसलिए रामस्वरूप के हक में दस्तबरदारी नहीं हो सकती। रामप्यारी, विद्या की भूमि में ना तो वह हिस्सेदार है, ना ही उसका कोई पूर्ववर्ती अधिकार साबित होता है। उनका यह भी तर्क है कि भूमि विक्रय नहीं मानी जा सकती क्योंकि स्टाम्प नहीं है ना ही गिफ्ट हेतु पूरे स्टाम्प लगे हैं। विद्या कन्टेस्टिंग पक्षकार नहीं थी ऐसी स्थिति में उसके फोत होने पर दावा अबेट नहीं होता है। तनकी संख्या 1, 2, 3, 4 बखूबी साबित होने के बावजूद विचारण न्यायालय ने वादीगण का वाद खारिज कर दिया जो निर्णय निरस्त योग्य था एवं जिसे निरस्त कर प्रारम्भिक डिक्री पारित करने में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विस्तृत रूप विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए निर्णय पारित किया है। अंत में उन्होंने प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21–03–2005 को विधि सम्मत बताते हुए अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में उन्होंने 1998 एआईआर (राज.) 348, 1991 आरआरडी 95, 1997 आरआरडी 565, 1998 आरबीजे 406, 2003 एआईआर (आन्ध्र प्रदेश) 498, 2010 आरबीजे 207, 1972 आरएलडब्ल्यू 532, 2019 आरबीजे 231 के न्यायिक दृष्टांत उद्धृत किये।

7— बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया।

8— पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पो0/वादिया रामप्यारी व विद्या ने एक वाद धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय के तहत प्रतिवादी रामस्वरूप, चन्दू एवं राज्य सरकार के विरूद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दावा व जवाब दावा के आधार पर प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की—

(1) आया वादी पक्ष अपने पिता मोमन के गुजरने पर उसके हक व हिस्सा की चक 7 दीपलाना की मुश्तर्का खाता की 63 बीघा भूमि के 1/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार हो गई।
(2) आया प्रतिवादी नं01 ने वादीया के पिता मोमनराम को बिना कुछ बताये धोखा एवं छलकपट से उसकी जानकारी से परे दिनांक 25—3—89 को एक दस्तबरदारी अपने हक में गलत रूप से करवाई थी जो अपनी जात से ही बमुकाबले शून्य व प्रभावनहीन है।
(3) आया प्रतिवादी नं01 के हक में करवाये गये दस्तबरदारी दस्तावेज की कोई कानूनी अहमियत नहीं है तथा उक्त दस्तबरदारी दिनांक 25—7—89 के आधार पर मोमन के हक की भूमि का हस्तांतरण प्रतिवादी नं01 के हक में नहीं हुआ है।
(4) आया वादीगण प्रतिवादी नं01 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा पाने एवं अपने हक की भूमि का खाता अलग करवाने के मजाज है।
(5) आया दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 25—3—89 के द्वारा वादीगण के पिता मोमनराम के खेत हक व हिस्सा की आराजी कानूनन प्रतिवादी नं01 मे न्यस्त हो गई थी।
(6) आया वादीगण का पिता मोमनराम हमेशा प्रतिवादी नं01 के साथ रहा था तथा दोनों के बीच उनके हक व हिस्से की भूमि का बंटवारा कभी नहीं हुआ।
(7) आया वादीगण का दावा दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 25—3—89 को मनसुख करवाए बिना चलने के काबिल नहीं है।
(8) अनुतोष
(9) आया अर्जीदावा की मद नं0 1 में वर्णित चक 7 डीपीएन की 63 बीघा खातेदारी को पहले प्रतिवादी नं01 के पिता सावंत अकेले काश्त करते थे और उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी नं01 कुल भूमि को अकेला अधिकार पूर्ण खुल्लम—खुल्ला बिना किसी रोक टोक के 30 वर्षों से अधिक समय से काश्त करता है। अतः वह उक्त आधार पर वाद भूमि का तन्हा काश्तकार बन चुका है।

9— विचारण न्यायालय ने पक्षकार की दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य दर्ज कर एवं उभयपक्ष की बहस सुनने के उपरांत निर्णय व

डिक्री दिनांक 17–07–2003 द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 21–03–2005 द्वारा स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17–07–2003 को अपास्त कर दिया तथा वादीगण का दावा प्राथमिक डिक्री किया कि "चक–7 डी.पी.एन. के मु0नं0 35 के कि0न0–11 ता 14, 17 ता 25 की 13बीघा मु0नं0 36 के कि0नं0–14 ता 18, 23 ता 25 की 8 बीघा, मु0न0 45 के कि0न0 3 ता 8, 13 ता 16, 25 की 11 बीघा मु0न0 46 के कि0न0 1 ता 25 की 25 बीघा मु0न0 63 के कि0न0 1 ता 5 की 5 बीघा मु0न0 64 के कि0न0 5 की एक बीघा कुल 63 बीघा में से 21 बीघा भूमि के अपीलांट 1/2 हिस्सा व रेस्पो0 सं0 4 ता 6, 1/2 हिस्सा के मुश्तर्का खातेदार काश्तकार है। रेस्पो0 सं0 1, 2 को पाबन्द किया जाता है कि वह अपीलांट व रेस्पो0 सं0 4 ता 6 के हिस्से के हिस्से में आई भूमि में मदाखलत ना करे। तहसीलदार हल्का भादरा को 500/–रूपए की फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर रेन्ट व भूमि विभाजन प्रस्ताव अच्छी–गंदी के हिसाब से पक्षकारान की भूमि का अधीनस्थ न्यायालय में भिजवाए जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।"

10– प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम तनकी संख्या 2 व 3 को निर्णित किया है। तनकी संख्या 2 व 3 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तनकी संख्या 2 व 3 को वादीगण के पक्ष में निर्णित किया है। रेस्पो0सं01 का मुख्य रूप से यह तर्क है कि दस्तबरदारी केवलमात्र उसी के पक्ष में हो सकती है, जिसका भूमि में पूर्व से अधिकार हो एवं भूमि का सह–मालिक हो। इस संबंध में रेस्पो0 के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत न्यायिक दृष्टांत अवलोकनीय है। 1995 आरआरडी 565 में निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया गया है–

" Stamp Act (as adapted to Rajasthan), Article 55- Sub-registrar referred the document on production to the Collector (Stamps) for classification- Classified sale deed by Collector- Revision- Held, a release can only be made in favour of a person who has a pre-existing right or interest in the property- In the instant case, though the property was self acquired property, but the right was in pre-existence when he

executed the release deed on 2.8.95. Order of the Collector, held unjustified and illegal- The deed held a release deed and not a sale deed."

एआईआर 2003 आन्ध्र प्रदेश 498 में निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया गया है–

"(D) Transfer of Property Act (4 of 1882), S. 5- Release deed- Made in favour of some of co-parcener- Would ensure to benefit of all other co-parceners and not only in favour of those co-parceners in whose favour release was made."

11– हस्तगत प्रकरण में रामस्वरूप टीनेन्ट–इन–कोमन है ऐसे में मोमनराम की भूमि में रामस्वरूप का कोई पूर्व से अधिकार (Pre-existing Right) नहीं है। मोमनराम द्वारा वादीगण के पक्ष में वसीयत दिनांक 14–12–1989 को की गई है, जो दस्तबरदारी दिनांक 25–03–1989 के बाद की है एवं जिसमें यह अंकित किया गया है कि मैंने एक वसीयत दिनांक 25–5–97 को रामस्वरूप के हक में की थी वो निरस्त करता हूं क्योंकि रामस्वरूप ने मुझे धक्के मार कर निकाल दिया है। मुझे रोटी, कपडा नहीं देता है। इससे यह स्पष्ट है कि रामस्वरूप ने दस्तबरदारी दस्तावेज तहरीर करवाने के बाद मोमन को घर से निकाल दिया तथा वादीगण, जो कि मोमन के प्रथम श्रेणी के वारिसान हैं, ने मोमन की सेवा–सुश्रुषा की जिससे प्रसन्न होकर उनके हक में वसीयत सब–रजिस्ट्रार भादरा के यहां पंजीबद्ध करवाई। मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू.1 रामप्यारी व पी.डब्ल्यू.2 छोटूराम ने अपने बयानों में मोमनराम की सेवा वादीगण द्वारा की जाना एवं वादीगण के भात रामस्वरूप द्वारा नहीं भरा जाना कहा है। विचारण न्यायालय ने दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 25–03–1989 को गिफ्ट डीड माना है, जो गलत है क्योंकि उक्त दस्तावेज पूर्ण स्टाम्प पर निष्पादित नहीं है एवं गिफ्ट डीड के इन्ग्रीडियेन्ट्स पूरे नहीं करता है। ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त दस्तावेज को गिफ्ट डीड नहीं मानते हुए तनकी संख्या 2 व 3 को वादीगण के हक में निर्णित किया है, जो उचित है एवं हम प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 व 3 पर पारित निर्णय से सहमत हैं।

12– तनकी संख्या 1 को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर था। चूंकि तनकी संख्या 2 व 3 का निर्णय वादीगण के पक्ष में हो जाने

से मोमनराम की भूमि में दस्तबरदारी दस्तावेज के आधार पर रामस्वरूप को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते एवं उक्त दस्तावेज शून्य होने से मोमनराम की सम्पत्ति के प्रथम श्रेणी वारिस वादीगण ही है एवं वादीगण वादग्रस्त 63 बीघा आराजी के 1/3 हिस्से के जरिये उत्तराधिकार खातेदार काश्तकार सिद्ध होते हैं। ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 को वादीगण के पक्ष निर्णित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

13— तनकी संख्या 4 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था एवं उक्त तनकी का निर्णय, तनकी संख्या 1 से 3 के निर्णय पर आधारित है। चूंकि तनकी संख्या 1 से 3 में वादग्रस्त भूमि में रामस्वरूप को कोई अधिकार प्राप्त होना नहीं माना गया इसलिए वादीगण, रामस्वरूप के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा के आधार पर खाता विभाजन प्राप्त करने के अधिकारी हैं। ऐसे में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त तनकी का निर्णय भी वादीगण के पक्ष में किया है, जो सही है।

14— तनकी संख्या 5 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। चूंकि तनकी संख्या 1 से 3 वादीगण के पक्ष में निर्णित हो चुकी है जिसमें दस्तबरदारी दिनांक 25—03—1989 से रामस्वरूप को मोमनराम की भूमि में कोई अधिकार प्राप्त होना नहीं माना गया है। ऐसी स्थिति में मोमनराम की 1/3 हिस्सा की भूमि में जो दस्तबरदारी के आधार पर इंतकाल संख्या 77 दिनांक 03—04—1989 तस्दीक हुआ है वह स्वतः ही प्रभावहीन हो जाता है। इसलिए इस तनकी का निर्णय भी प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एवं वादीगण के पक्ष में किए जाने में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है।

15— तनकी संख्या 6 को साबित करने का भार भी प्रतिवादी पर था। वादिया रामप्यारी ने अपने बयान में यह कहा है कि मोमनराम उसके पास रहते थे व उसी के पास गुजरे। पीडब्ल्यू—2 छोटूराम ने अपने बयान में यह कहा है कि वादिया विद्यादेवी ने मोमन के फूल हरिद्वार पहुंचाए। रामस्वरूप के साथ मोमन के रहने से इंकारी की है। इसी प्रकार रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 14—12—1989 में भी मोमनराम ने यह अंकित किया है कि रामस्वरूप रोटी—कपड़ा नहीं देता है। उक्त आधारों पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस तनकी का निर्णय भी

वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध किया है, जो उचित है।

16— तनकी संख्या 7 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। वादीगण द्वारा दस्तबरदारी दिनांक 25—03—1989 को शून्य होने के आधार पर दावा प्रस्तुत किया गया एवं तनकी संख्या 2 में किए गए विवेचन के अनुसार उक्त दस्तावेज को प्रभावशून्य मान लिया गया है तो ऐसे में जो दस्तावेज शून्य होता है उसे किसी न्यायालय ने निरस्त करवाने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा इस दस्तावेज के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 को अधिकार प्राप्त होना गलत रूप से माना गया है। इसलिए इस तनकी का निर्णय भी वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध करने में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है।

17— तनकी संख्या 9 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। विचारण न्यायालय द्वारा इस तनकी का निर्णय केवल मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर प्रतिवादी के पक्ष में किया है जबकि एक तरफ प्रतिवादी संख्या 1 ने दस्तबरदारी दिनांक 25—03—1989 के आधार पर इस तिथि तक वाद भूमि में मोमन का अधिकार मानते हुए अपने हक में शून्य दस्तबरदारी करवाई है, दूसरी तरफ कब्जा 30 वर्ष पुराना कहते हुए खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का कथन किया है। चूंकि प्रदर्श—3 जमाबंदी में मोमनराम, रामस्वरूप के साथ 1/3, 1/3 हिस्से के सह—खातेदार काश्तकार दर्ज है एवं दस्तबरदारी दिनांक 25—03—1989 को तथा दावा वर्ष 1991 में पेश हो गया था इसलिए पुराना कब्जा साबित नहीं है। यदि दस्तबरदारी की दिनांक से ही कब्जा माना जावे तो वादीगण द्वारा तो वर्ष 1991 में ही एतराज कर दिया गया, जिससे कब्जा 12 वर्ष का साबित नहीं है। वैसे भी सह—खातेदारी की भूमि में प्रत्येक काश्तकार का प्रत्येक इंच भूमि पर कब्जा काश्त माना जाता है एवं सह—खातेदार को खातेदारी अधिकार इस आधार पर प्राप्त नहीं हो सकते। विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान नहीं किए जाने का सिद्धांत मण्डल की माननीय वृहद पीठ द्वारा भी प्रतिपादित किया गया है। इस प्रकार वादिया की 1/3 हिस्से की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 रामस्वरूप खातेदार काश्तकार

नहीं है। इसलिए तनकी संख्या 9 का निर्णय भी बहक वादीगण एवं खिलाफ प्रतिवादीगण किए जाने में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है।

18— उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विस्तृत रूप से विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए तनकी संख्या 1 ता 4 वादीगण के पक्ष में तथा तनकी संख्या 5 ता 7, 9 प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित कर वादीगण का दावा प्रारम्भिक डिक्री किया है, जो न्यायोचित एवं विधि सम्मत है तथा उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। हम प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 21—03—2005 से पूर्णतया सहमत हैं एवं उसमें द्वितीय अपीलीय के माध्यम से हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं। हमारे विनम्र मत में अपीलांट पक्ष की ओर से उद्धृत न्यायिक दृष्टांत तथ्यों की भिन्नता के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

19— परिणामस्वरूप यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 21—03—2005 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य

(भंवर सिंह सान्दू)
सदस्य